न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 13/2021

1. सितकामाणी पत्नि मोतीसिंह
2. अशोक पुत्र ओमप्रकाश
3. सुभाषचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
4. मुरलीधर पुत्र रामचन्द्र
5. संतोषदेवी पत्नि रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दुर्गापुरा तन पिपराली तहसील व जिला सीकर

–अपीलाण्टस–

बनाम

1. रामदेव
2. बंशीलाल
3. बीरबल पुत्रगण गोरू समस्त जाति जाट निवासीगण दुर्गापुरा तन पिपराली तहसील व जिला सीकर
4. पटवारी हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर
5. उप पंजियक सीकर तहसील व जिला सीकर
6. तहसीलदार सीकर
7. ग्राम पंचायत पुरोहित का बास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुरोहितका बास तहसील व जिला सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

8. सरस्वती
9. सोहनी
10. पारू
11. संतोष
12. सुशीला पुत्रियां गोरू
13. अनिता पुत्री ओमप्रकाश
14. विधाप्रकाश पुत्र मोतीसिंह
15. कमला
16. निर्मला
17. बिमला पुत्रियां मोतीसिंह

उपखण्ड अधिकारी सीकर

13. सुनीता पुत्री रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दुर्गापुरा तन पिपराली तहसील व जिला सीकर

–प्रफोर्मा रेस्पोडेण्टस –

अपील विरूद्व नामा0 संख्या 433 दिनांक 5.7.2004 ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर जो खातेदार गोरू पुत्र दुला की विरासत का ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है। अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

उपस्थित – वकील अपीलाण्टस– श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां
वकील रेस्पोडेण्टस – श्री छगन गुर्जर

निर्णय

दिनांक : 31.10.22

वकील अपीलाण्टस ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 433 ग्राम पंचायत पुरोहित का बास के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि गोरू पुत्र दुला का स्वर्गवास दिनांक 24.4.1995 को, गोरू के पुत्र रामचन्द्र एवं मोतीसिंह का स्वर्गवास क्रमश– दिनांक 22.11.2005 एवं 26.7.2018 तथा ओमप्रकाश का 18.3.2014 को हो चुका है। अपीलाण्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व 8 से 18 के पूर्वज गोरू पुत्र दुला के खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2637/3738 रकबा 1.50 है0 ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है । गोरू पुत्र दुला के स्वर्गवास होने पर उसके 5 पुत्र एवं 5 पुत्रियां प्रथम श्रेणी के वारिसान होने बावजूद विरासत का नामा सं. 433 दिनांक 5.7.2004 केवल मात्र 3 पुत्रों रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम स्वीकृत कर दिया गया । नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व वारिसान की कोई जांच नहीं की गई ना ही कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिया गया । नामा0 भरते समय संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र व विरासत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पिपराली का उल्लेख किया गया है जबकि ग्राम पंचायत का विरासत प्रमाण पत्र जारी करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं है। गोरू पुत्र दुला की अन्य कृषि भूमियां ग्राम पिपराली में अवस्थित है जिनका विरासत का नामा संख्या 480 दिनांक 6.12.2005 उसके समस्त वारिसान के नाम से भरा गया है। उक्त गलत नामा0 की आड़ में रेस्पो0 सं. 1 ता 3 अपीलाण्टस को बेदखल करने पर आमादा है। गलत नामा0 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16.8.2021 को कृषि ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल लेने पटवारी के पास गया तो खातेदारी उनके नाम से नहीं होने की जानकारी हुई। इस प्रकार उक्त नामा0 फ्राड करके समस्त वारिसान को छुपा कर स्वीकृत करवाया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

नामा0 संख्या 433 दिनांक 5.7.2004 निरस्त कर समस्त वारिसान के नाम नामा0 स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 8 से 18 की ओर से एड. छगन गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया । इनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। शेष रेस्पो0 बावजूद रजिस्टर्ड तामिल के उपस्थित नहीं रहे। बहस वकील उभयपक्ष्स सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह प्रमाणित है कि गोरू पुत्र दुला की मृत्यु के पश्चात उसकी पिपराली अवस्थित भूमियों का विरासत का नामा0 उसके समस्त वारिसान के नाम से स्वीकृत किया गया है जबकि ग्राम पुराहित का बास की भूमियों का नामा0 केवल मात्र उसके तीन पुत्रों रेस्पो. संख्या 1 ता 3 के नाम स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नाम बिना विरासत की जांच किये व नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत किया गया है। जो कि विधि विरूद्व है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 433 दिनांक 5.7.2004 ग्राम पंचायत पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार विरासत की जांच कर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नामा0 की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 31/10/24 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner